

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत

संख्या- 1740 / 11(2) / 10-17 (सामान्य) / 2008

अधीक्षण अभियन्ता
उत्तर का सं० पी० वि०महिला,
अनु. सचिव
सं. 10/12/2010मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।10/12/2010 दिनांक 10/12/2010
प्रतिश्रुति - 10/12/2010
प्रतिश्रुति - 10/12/2010परिष्कार प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य सचिव, सं. 10/12/2010
अंतरकारी 10/12/2010

देहरादून दिनांक 28 मार्च 2011

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सूचना:- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता सं० 10/12/2010, लो० वि० पी० वि० द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी विप्लिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सल्टेंट्स आदि मदों के लिये टी० ए० सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ चत्वारस करोड पचास लाख तिरतीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 77 कार्यों हेतु ₹ 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महानहिन श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं०-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 को व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैडल सेटु की निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें होकर आर. रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- उक्त स्वीकृति के आधार पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय व्यय नहीं किया जायेगा। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उक्त बचत राशि समायोजन हेतु प्रयोग की जायेगी। अन्यथा व्यय किया जायेगा।

(iv)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ, तकनीकी दृष्टि के कार्य पूरे हो चुके हों एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के अनुरूप ही कार्य को सम्पन्न करने के लिये आवश्यक हो, तब ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उत्तरकारी:- 10/12/2010 दिनांक 10/12/2010

-2-

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश लो-2047/XXV-2/2006 दिनांक 2006 द्वारा निर्गमित आदेशों का कार्य करने प्रारम्भ था। आगामी सत्रित करने समर्थ कंडाई से न सुनिश्चित किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सन्तुष्ट दायित्व संबंधित अधिकारी को होगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान लेखापीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों योजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-03- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना-24 निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 198/XXVII(2)/2010 दि०: 28 मार्च, 2010 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

महोदय

[Signature]

(महिमा)

अनु सचिव

(1)/11(2)/11-05(प्रतिआ0)/2010 तददिनांक।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।
 महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय नोट्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
 आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
 समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
 मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोड़ा।
 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 विदेशी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
 वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन इकोड/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
 समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
 लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
 गार्ड बुक।

आज्ञा स

मुख्य सचिव
 लोक निर्माण विभाग
 देहरादून

(महिमा)

अनु सचिव

पृष्ठ सं.

4/24/20

पृष्ठ सं.

4/24/20

पृष्ठ सं.

4/24/20

क्रमांक- 14/10/2010(2)/11-05(प्रारंभिक)/2010 दि 28 मार्च, 2011 का संलग्नक

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत (लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय होने अनुमान की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
01	02	03	04	05
01	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में पुरोडी हथौ टगरी मार्ग के किमी. 15.00 से बहमू संपर्क मार्ग।	6.00	75.60	0.10
02	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में पृथ्वीपुर जंगल मो. 0.10 का नवनिर्माण।	6.00	75.60	0.10
03	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में ग्राम लडवाखोट हल्दवाडी हेतु मो. 0.10 का नवनिर्माण।	10.00	126.00	0.10
04	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में भलिङयाना लम्बागव उत्तरकाशी मो. 0.10 से जसपुर सिल्याग निराकोट मो. 0.10 निर्माण।	8.00	100.80	0.10
05	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड दुर्ग में डोंग से ओल्या मो. 0.10 का निर्माण।	2.00	25.20	0.10
06	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में मठ लनकोटी मोटर मार्ग के किमी. 2 से 5 तक विस्तार।	4.00	50.40	0.10
07	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में भदरातु रानागौडा मोटर मार्ग के किमी. 2 से नितुरा मोटर मार्ग ग्राम हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80	0.10
08	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद धौली के विकासखण्ड धौलीखण्ड में मेल-दमेली-डालो-मंडोली मो. 0.10 का निर्माण।	12.00	151.20	0.10
09	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद बाँडे के विकासखण्ड राकेशपुर में तुला हलाईमल्ली- हलाई तल्ली मो. 0.10 का निर्माण।	3.00	37.80	0.10
10	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद बाँडे के विकासखण्ड भेलाडी में मंडो-बाँडे मो. 0.10 का नवनिर्माण।	3.00	37.80	0.10